

अधिसूचना संख्या 167/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1954(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 267(ई) दिनांक 29 मार्च, 1994 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 6 पर, एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया, ए-7, निजामुद्दीन (पश्चिम), नई दिल्ली-110013 द्वारा "निराश्रित, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और पारिवारिक माहौल प्रदान करने के लिए 27 मौजूदा गाँवों का प्रशासन और रखरखाव" को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 390(ई) दिनांक 19 मई, 1997 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 852(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 2000 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 527(ई) दिनांक 9 मई, 2003 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1006(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 833(ई) दिनांक 25 मार्च, 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1074(ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ 1604(ई) दिनांक 14 नवम्बर, 2005 द्वारा अनुमानित लागत 3291.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 4791.00 लाख रुपये कर दी गई थी, अधिसूचना संख्या एसओ 1165(ई) दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमानित लागत 4791.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रुपये कर दी गई थी तथा अधिसूचना संख्या एसओ 1849(ई) दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा अनुमानित लागत 50.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100.00 करोड़ रुपये कर दी गई थी तथा अधिसूचना संख्या एसओ 1074(ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा अनुमानित लागत 100.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार इक्कीस वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 200.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, (ए) एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया, ए -7, निजामुद्दीन (पश्चिम), नई दिल्ली -110013 द्वारा कार्यान्वित की जा रही "बेसहारा, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिए 27 मौजूदा गाँवों का प्रशासन और रखरखाव" योजना या परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है, यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18;

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एसओ 267(ई) दिनांक 29 मार्च, 1994 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत लागत की अधिकतम राशि से संबंधित तालिका में क्रम संख्या 8 के सामने कॉलम (4) में, "150 करोड़ रुपए" अक्षरों, आँकड़ों और शब्द के स्थान पर "200 करोड़ रुपए" अक्षर, आँकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

